267

संख्या– /XVIII(II)/2015–18(43)/2015

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 16 मार्च, 2015

विषयः–जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–51/2012 के अनुपालन में कुन्दीनगर लदोलीघाट में एस0सी0पी0 के तहत राज्य स्तरीय भेड़ बकरी प्रजनन फार्म की स्थापना हेतु कुल 7.968 है0 भूमि पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1317/26–प्रशा0अ0(सा0प्रशा0)2013–14 दि0–13.01.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम कुन्दीनगर, पट्टी चोपड़ाकोट, तहसील थलीसैण, जनपद पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखण्ड सरकार की ज0वि0 के खाता सं0–35 के खसरा सं0–1 में रकबा 0.702 है0, 27 में रकबा 0.702 है0, 28 में रकबा 0.702 है0, 29 में रकबा 0.702 है0, 30 में रकबा 0.702 है0, 31 में रकबा 0.702 है0, 32 में रकबा 0.702 है0, 33 में रकबा 0.702 है0, 37 में रकबा 1.783 है0 तथा 51 में रकबा 0.569 है0, इस प्रकार कुल 7.968 है0 (लगभग 400 नाली) भूमि को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– प्रस्तावित भूमि में से 60 नाली भूमि पर झाड़ियां है जिसमें किसी प्रकार के वृक्ष नहीं है, शेष 340 नाली भूमि में बांस–बुरांश के लगभग छोटे बड़े 4500 वृक्ष मौजूद है। भूमि ढालदार एवं निर्माण योग्य है। राज्य स्तरीय भेड़ बकरी प्रजनन फार्म की स्थापना में जो भवन आदि का निर्माण होना है उसके लिए 60 नाली भूमि जो कि बंजर एवं झाड़ी युक्त है उपयुक्त एवं पर्याप्त बतायी गई है तथा शेष 340 नाली भूमि जिस पर वृक्ष आदि मौजूद है, उस भूमि का उपयोग उसी रूप में पशुओं के चरान चुगान हेतु किये जाने एवं उसमें से कोई वृक्ष आदि का कटान नहीं किया जाना प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

3– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

4– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

5– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

..........2

7– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

8– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने के कारण भारत सरकार की पूर्वानुमति मिलने के पश्चात ही वास्तविक हस्तांतरण किया जाना जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9– प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या– 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0–436/2011 /SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0–जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0संख्या– 310 /समदिनांकित/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
उप सचिव।